पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम (आर.टी.एस)

मि.न.83/18

दिनांक 27.11.18

सरकार बनाम कैलाश

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का दांतिल ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2075में वाके ग्राम दांतिल तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1689रकबा 1.45है0 किस्म जमीन गै0मु0नाला में से0.01है0 पर से कैलाश पुत्र अर्जुन जाति कुम्हार निवासी दांतिल तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने नीम,शीशम, सैजने के एक – एक पेड काटे जाकर बाउण्ड्रीवाल बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल स्वंय उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है कि खसरा नंबर 1689/1.45 किस्म गै0मु0 नाला वाके ग्राम दांतिल पर पहले से ही ग्रामवासियें का कब्जा चला आ रहा है । अतः गैर सायल का कब्जा नाले पर नहीं किया है वह भूमि मेरी पुश्तैनी आबादी भूमि है जिस पर पहले से ही डण्डा लगा हुआ है। जबकि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट सही होना बताया है तथा भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरांत ही पेश की है।

पत्रावली में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट , गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब तथा जबाब के संदर्भ में पटवारी हल्का से ली गई रिपोर्ट को अवलोकन किया तो विवेचन पर पाया वाके ग्राम दांतिल के खसरा नंबर 1689/1.45है0में से 0.01है0पर से गैर सायलान द्वारा नीम, शीशम , सैजने के एक– एक पेड काटे जाकर बाउड्री वाल का निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है। अतः गैरयल के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः गैर सायल कैलाश पुत्र अर्जुन जाति कुम्हार निवासी दांतिल तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम दांतिल के खसरा नंबर 1689/1.45है किस्म गैर मुमकिन नाला में से 0.01 है भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त आराजीयात पर बनी बावड्री वाल को ध्वस्त किया जाकर अतिक्रमी को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.40 का पचास गुणा 20 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है साथ ही सरकारी भूमि से काटे गये नीम,शीशम , सहजने के एक–एक पेडों काटने पर गैर सायल कैलाश पुत्र अर्जुन जाति कुम्हार निवासी दांतिल तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के विरूद्व सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली में धारा 84–86 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तगर्त कार्यवाही करवाई जावे।

बैदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मां.ग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 27.11.18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)